स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 11 फरवरी, 1994

संख्या 46/14/80-5 स्वाश० II.—चूंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात् संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिये इस समय लागू विधि के साधारण उपाय अपर्याप्त हैं ;

इसलिये अब महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा —

(I) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा उससे निर्यात को रोकना ;

(ख) किन्ही अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या ऐसे स्थान में जो किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिये उपयोग में लाया जाता है प्रवेश करने वाले ऐसे पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाये जायें तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा यह उचित समझें समाप्त कराने के लिये प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने से रोका जा सके ;

(घ) सभी प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त स्थान पृथक् करना और किसी अन्य स्त्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्त्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना ;

(ङ) किसी बर्फ के कारखाने या बाति जल या खनिज जल कारखाने भी बन्द करने के आदेश देना ;

(च) स्नान के लिये उपयुक्त स्थान पृथक् करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना ;

(छ) पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने के लिये या जनता के स्वास्थ्य, सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिये स्थान पृथक् करना ;

(ज) खण्ड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये नियत किये गये स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना ;

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना ;

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या हस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ;

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना ;

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति टीका लगवायें वयस्कों के मामले में आदेश उनके माता-पिता या अविभावकों को सम्बोधित होंगे और तब ऐसे सभी व्यक्तियों को टीका लगवाने अपेक्षित होंगे ।

(II) महा निदेशक, वरिष्ठ निदेशक, निदेशक और उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, सिविल सर्जनों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों; जिला चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिकाओं, चिकित्सा अधिकारियों,

सरकारी या स्थानीय निकाय अस्पतालों और औषधालयों (डिस्पैन्सरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी खाद्य निरीक्षकों, वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निगरान, सहायक यूनिट अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों, और सभी मजिस्ट्रेटों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :--

(क) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकास (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की संभावना वाले व्यक्ति को हट जाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोक रखने के आदेश देना ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय में छूट होने का डर हो (अवयस्कों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे) ;

(घ) संक्रामक यकृत विकास के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगानुनाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना ;

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों, या किसी अन्य वस्तु को जो उनकी राय में रोगाणु-ग्रस्त है या जिससे रोगाणुओं के फैलने की संभावना है सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु घृणोत्पादक समाग्री, कूड़ाकर्कट, विष्ठा, गोबर या किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगानुनाशकों (disinfications) को प्रयोग में लाने में आदेश देना ;

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के क्लोरीकरण का आदेश देना ।

(iii) महानिदेशक, वरिष्ठ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा और सिविल सर्जनों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :--

(क) जब भी जिला में संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिये विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक मैहतरों या सफाई मजदूरों, सफाई निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बताना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकास (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक दूसरे मास तक अस्थायी रूप से भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का कोई व्यस्क सदस्य ;

(ख) प्रत्यक पंजीकृत प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकास (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानी अस्पताल/औषधालय के कार्यकारी चिकित्साअधि-कारी को या नगरपालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार-क्षेत्र में वह रहता है या व्यवस्साय करता है जो बाद में मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित सिविल सर्जन को देने का जिम्मेदार होगा ;

(ग) यह निर्देश देते हैं कि खण्ड (i) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र से तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र सिविल सर्जन द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकास से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता । यह निर्देश देते हैं कि इस आदश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुय किय गय किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगरपालिका द्वारा जुटाई जायेगी जिसके अधिकार क्षत्र में ऐसा उपाय किया है और इसकी वसूली करने के कार्य हरियाणा द्वारा खजाने में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1994 तक लागू रहेगा।

रघुवीर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

HEALTH DEPARTMENT

The 11th February, 1994

No. 9/(16)-83-5HB-II.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the State of Haryana is threatened with an out break of dangerous epidemic disease, namely, Malaria and the ordinary provision of law for the time being in force are insufficient for the purpose. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897, the Governor of Haryana hereby makes the following regulations, namely : –

1. These regulations may be called the Haryana Epidemic Diseases (Malaria) Regulation, 1994.

2. In these regulations unles the context otherwise requires—

(a) "Epidemic Diseases", means Malaria.

(b) "Passive Surveillance Centre" means any place which may be declared by the Deputy Commissioners concerned in exercise of the powers conferred upon him to be a passive surveillance centre.

(c) "Inspecting Officer" means a person appointed by the Director, Health Services or the Chief Medical Offi cer concerned to be an Inspecting Officer.

3. An Inspecting Officer who is unavoidably prevented from discharing all or any of the functions may be order in writing appoint any Medical Officer, Biologist, Assistant Entomologist, Entmological Assistant, Assistant Malaria Officer, Assistant Unit Officer (Malaria and Smallpox), Health Supervisor (Malaria), Senior Malaria Inspector, Senior Sanitary Inspector, Malaria Inspector, Health Inspector/ Surveillance Inspector/Sanitary Inspector, Basic Health Worker, Superior Field Worker, Multipurpose Workers, Surveillance Worker, to discharge such functions and every official so appointed shall so far as such functions are concerned be deemed for the purpose of these regulations to be an inspecting officer.

4 An inspecting officer may enter any premises for the purpose of fever surveillance, treatment. anti-larvel measure or spray. He may also authorise other persons of his team to enter such premises along with him, as he considers necessary.

5 An inspecting officer may put to any person any question he think fit, in order to ascertain wheather there is any reasons to belive or suspect that such persons is or may be suffering from Meleria and such persons shall give answer iruty to question so put to him.

6 Whearas a result of such inspection or examination or otherwise the Inspecting officer considers that there is reasons to belive or suspect that such persons is or may be infected with Malaria the Inspecting Officer may direct such persons to give his blood slide for examination and to take such treatment as the Inspecting Officers may considere necessary. In case of the minor, such order shall be directed to the guardian or any other audit member of the family of the minor.

7. The Inspecting Officer may order any premises to be sprayed with insecticides or interdomestic water collection to be treated with larvicides.

8. These regulation shall come into force at once and shall remain in force up to 31st December, 1994.

RAGHBIR SINGH,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Health Department.

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

दिनांक 28 जनवरी, 1994

संख्या 22/8/94-शि-4(4).—पंजाब प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1904, की उप-धारा 25 की धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में यथा विनिर्दिष्ट पुरावशेषों या पुरावशेष के वर्ग के संचलन पर पाबन्दी लगाते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इन मूर्तियों को, ठाकुर द्वारा मन्दिर, जिला अम्बाला, जहां इस समय ये मूर्तियां रखी हैं, से निदेशक पुरातत्व तथा संग्राहालय विभाग को लिखित अनुज्ञा के बिना हटाया नहीं जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	पुरावशेषों का नाम	गांव/तहसील/जिला	विशेष कथन
	खेतों में पाई गई और अथवा आधुनिक मन्दिर में नियत अथवा रखी गई प्राचीन मूर्तियां/आर्किटेक्चरल मैम्बर, शिलालेख तथा अन्य प्राचीन मन्दिर अवशेष	मस्योन (ठाकुर द्वारा) पंचकूला/अम्बाला	इस क्षेत्र के 9 से 11वीं शताब्दी ई० पूर्व की गुर्जर प्रतिहार कला से सम्बन्धित सभी मूर्तियां और अन्य पुरावस्तुएं।

टी० डी० जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व विभाग।

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

The 28th January, 1994

No. 22/8/94-Edu. IV (4).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 25 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains, Act, 1964 and all others powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby imposes ban on the movement of antiquities or class of antiquities as specified in the Schedule given and directs that the same should not be removed from the temple at Thakurdawara, district Ambala where they are lying at present, except with the written permission of the Director, Archaeology and Museums Department.

SCHEDULE

Name of antiquities	Village/Tehsil/District	Remarks
Ancient Sculptures, architectural-members, inscriptions and other ancient temple remains found from the field and or fixed or kept in the modern temple	Masyon (Thakurdwara) Panchkula/Ambala	All the sculpture and other antiquities belong to the Gurjar pratihara Art of 9th-11th centuary A.D. of this region

T. D. JOGPAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department.

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग,
दिनांक, 28 जनवरी, 1994

सं० 45/12/88-शि-4(4).—पंजाब प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक को संरक्षित संस्मारक तथा पुरातत्वय स्थल के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद सरकार, प्रस्ताव पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक क्षेत्र	स्थल का नाम	गांव/तहसील तथा जिला	राजस्व प्लाट संख्या जिसको संरक्षा में लिया जाना है		स्वामित्व	ऐतिहासिक महत्व
1	2	3	4		5	6
			प्लाट सं०	क्षेत्र		
राजकीय महविद्यालय के प्रांगण में गुम्बद	गुम्बद	हिसार	1719	के. एम.	राज्य सरकार	ईशा पूर्व 14वीं शताब्दी के प्रख्यात सन्त दाना शेर के आध्यात्मिक शिक्षक बाबा प्राण पीर बादशाह का मकबरा ।
			26	3.5		
			17	3.11		
			18	1.12		
			22	0.2		
			23	2.1		
			24	4.1		
		जोड़		14.12		

टी. डी. जोगपाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS

The 28th January, 1994

No. 45/12/88-Eda. IV(4) .—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites Remains Act, 1964 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is hereby proposes to declare the ancient and historical monument specified in columns 2 and 3 of the Schedule given below to be protected monument and the archaeological site and area specified in column 5 of that Schedule to be a protected area.

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Archaeology and Museums Department, Chandigarh, from any person with respect to the proposal, before the expiry of the period so specified.

SCHEDULE

S. No.	Name of ancient and Historical momument	Name of archaeological site & remains	Name of village/Tahsil and District	Revenue Plot No. to be included under Protection	Owner-ship	Historical Importance
1	2	3	4	5	6	7
1	Gumbad at Government College, Complex Hissar	Gumbad	Hissar	Plot Area K. M. 1719—3.5 26—3.11 17—3.11 18—1.12 22—0.02 23—2.1 24—4.1	State	Tembs of Baba Pran Badshah Spiritual teacher of Dana Sher, a Celebrated saint of 14th Centuary AD.
			Total	14 –12		

T. D. JOGPAL,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Archaeology & Museums Department,
Chandigarh.